

समाचार

## खुले वाहन में कचरा परिवहन करने, साफ-सफाई कार्यों में कोताही बरतने पर होगी कड़ी कार्यवाही

( आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने स्वच्छता कार्य एजेंसियों व निगम के स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर साफ-सफाई कार्यों की समीक्षा की )



कोरबा 15 मई 2026 – आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय ने स्वच्छता कार्य एजेंसियों तथा स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों को कड़े निर्देश देते हुये कहा है कि कचरे का परिवहन करते समय वाहन ट्राली को तिरपाल के माध्यम से अच्छी तरह से ढक कर ही कचरे का परिवहन करें, यदि कहीं पर भी यह शिकायत सामने आती है, कि बिना तिरपाल ढंके, कचरे का परिवहन किया गया है, साफ-सफाई कार्यों में कोताही बरती गई है तथा नियमित साफ-सफाई नहीं हुई है, तो स्वच्छता कार्य एजेंसियों व स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी।

आयुक्त श्री पाण्डेय ने आज नगर पालिक निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित सभाकक्ष में निगम की स्वच्छता कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधियों व निगम के स्वच्छता निरीक्षकों, पर्यवेक्षकों की बैठक लेकर साफ-सफाई कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। आयुक्त श्री पाण्डेय ने निर्देश देते हुये कहा कि साफ-सफाई कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जानी चाहिये, निर्धारित मानदण्डों के अनुरूप सफाई के कार्य हों, नालियों व सड़कों की नियमित रूप से साफ-सफाई हों, सफाई कार्य के दौरान उत्सर्जित अपशिष्ट का स्थल से तुरंत उठाव हों, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि निगम के सभी वार्डों हेतु पृथक से नोडल अधिकारी नियुक्त कर अधिकारी कर्मचारियों को वार्डों की जिम्मेदारियों दी जा रही है, ये नोडल अधिकारी वार्ड में साफ-सफाई व्यवस्था से लेकर निगम से संबंधित सभी कार्यों की नियमित मानीटरिंग करेंगे। उन्होने सफाई

ठेकेदारों को निर्देशित करते हुये कहा कि वे भी वार्डवार अपने स्वच्छता सुपरवाइजर नियुक्त करें, जो वार्ड के नोडल अधिकारी के साथ रहकर सफाई कार्यों का सघन निरीक्षण करेंगा तथा व्यवस्थाओं को सुधारेगा।

**समय पर सफाई न होने पर अर्थदण्ड** — आयुक्त श्री पाण्डेय ने स्वच्छता कार्य एजेंसियों से कहा कि निर्धारित समय पर नियत मानदण्डों के अनुरूप नियमित सफाई कार्य किये जाएं, यदि समय पर सफाई कार्य नहीं हुआ तथा कचरा बिखरा पाया गया, तो अर्थदण्ड की कार्यवाही की जायेगी, वहीं संबंधित स्वच्छता पर्यवेक्षक व निरीक्षक का एक दिन का वेतन भी काटा जायेगा, अतः सफाई कार्यों में कोताही न हों, जिस वार्ड में जितने सफाई कामगार नियुक्त किये गये हैं, वे सभी कार्य स्थल पर उपस्थित रहकर सफाई कार्य करें, यह अंतिम रूप से सुनिश्चित करें।

**बरसात से पूर्व नालियों की सतह से सफाई** — आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि वर्षा ऋतु के आगमन में अब कम ही दिन शेष है, अतः बरसात से पूर्व निगम क्षेत्र में स्थित समस्त बड़ों नालों व नालियों की सतह से सफाई कराये, इस हेतु एक सुनियोजित कार्ययोजना तत्काल तैयार करें तथा उसे अमल में लायें, यह प्रयास करें कि बरसाती नालियों की सफाई का कार्य 31 मई से पूर्व कर लिया जायें।

**पुनः जी.व्ही.पी. प्वाइंट न बने** — बैठक के दौरान आयुक्त श्री पाण्डेय ने कहा कि निगम द्वारा शहर के सभी जी.व्ही.पी.प्वाइंटों को समाप्त कर स्थल का सौंदर्यीकरण कर दिया गया है, अतः यह विशेष ध्यान रखें कि शहर में कहीं भी पुनः कोई जी.व्ही.पी.प्वाइंट न बनने पायें। उन्होंने कहा कि पूर्व के इन जी.व्ही.पी.प्वाइंटों के आसपास भी लोग कचरा न डालें, इस पर कड़ी नजर रखें। इसके साथ ही सड़कों के किनारे कचरा न दिखें, यदि किसी के द्वारा सड़क, नाली या सार्वजनिक स्थल पर कचरा फेंका जाता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

**नालियों के ऊपर से अतिक्रमण हटायें** — आयुक्त श्री पाण्डेय ने अधिकारियों से कहा कि अनेक जगहों पर यह देखा जा रहा है कि लोगों द्वारा नालियों के ऊपर रैम्प बना कर अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसके कारण नालियों की सफाई में अवरोध उपस्थित हो रहा है, अतः नाला व नालियों के ऊपर किये गये अतिक्रमण को तत्काल हटवायें ताकि सफाई कार्यों में अवरोध उपस्थित न हों तथा नालियों की नियमित सफाई सुनिश्चित हो सके।

बैठक के दौरान अपर आयुक्त विनय मिश्रा, उपायुक्त नीरज कौशिक, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.संजय तिवारी, वरिष्ठ स्वच्छता निरीक्षक सुनील वर्मा, सचीन्द्र थवाईत, गिरवर विश्वकर्मा, सतानंद द्विवेदी, उत्तम दास महंत, वरुण गोस्वामी, पुरुषोत्तम शर्मा आदि के साथ अन्य सफाई कार्य एजेंसियों के प्रतिनिधि व कर्मचारी उपस्थित थे।